पत्रांक - सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18

रेशम निदेशालय, उत्तर प्रदेश

एल0डी0ए0 कामर्शियल काम्पलेक्स, प्रथमतल,
विश्वासखण्ड - 3 गोमतीनगर - लखनऊ।
दिनांक::लखनऊ:: 28 अगस्त, 2017

आहरण वितरण अधिकारी
मुख्यालय लखनऊ।

रेशम विकास अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-8/2017/156/74-2-2016-11(ब)/2017 दिनांक 27 अप्रैल, 2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अनुदान सं0-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-रेशम निदेशालय हेतु कुल प्रावधानित धनराशि रू0 2421.89 लाख के सापेक्ष प्रथम पॉच माह हेतु (अप्रैल से अगस्त, 2017) हेतु लेखानुदान रू0 960.91 लाख एवं शासनादेश संख्या-23/2017/650/74-2-2017-11(ब)/2017 दिनांक 23.08.2017 द्वारा अवशेष सात माह हेतु रू0 1382.68 लाख इस प्रकार कुल रू0 2343.59 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुयी है। उक्त स्वीकृत धनराशि में से रू0 72,83,000.00 (रूपये बहत्तर लाख तिरासी हजार मात्र) का आवंटन संलग्नक के अनुसार निम्न शर्तो के अधीन किया जाता है:-

1. जिन मदों में धनराशि आवंटित की जा रही है उन्हीं मदों में धनराशि का व्यय की जाय अर्थात किसी भी स्थिति में मद परिवर्तन न किया जाय।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व एसी स्वीकृति/सहमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
3. आवंटित धनराशि का नियमानुसार, जहां आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर अथवा प्रतिनिधायन की सीमा के अर्न्तगत व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।
4. प्रत्येक मद में आवंटित धनराशि की सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय और इसका ध्यान रखा जाय कि दायित्वों का सृजन किसी भी दशा में न होने पाये, यदि किसी प्रकार का ऋणात्मक व्यय किया जाता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।
5. शासन द्वारा समय-समय पर मितव्यतता से संबंधित निर्गत निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
6. यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे वित्तीय नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व ही (दिनांक 10.03.2018 तक) निश्चित रूप से निदेशालय को समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें।

7. आवंटित की जा रही धनराशि का भुगतान संबंधित को नियमानुसार उनके बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से E-Payment ही किया जाए।
8. आवंटित धनराशि का उपयोग वास्तविकता के आधार पर किया जाए तथा किसी भी दशा में कोषागार से धनराशि आहरित कर बैंक खाते में न रखा जाए। यदि इस प्रकार का प्रकरण प्रकाश में आता है तो संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी जिम्मेदार होगे तथा वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
9. उक्त स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016-बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02.01.2017 एवं शासनादेश संख्या-8/2017-बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 मे दिये गये शर्तो /नियमो के अनुसार किया जाए।
10. योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग लक्षित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जाए।

आवंटित धनराशि का आहरण चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्व विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के लेखाशीर्षक 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन एवं प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधिष्ठान व्यय रेशम निदेशालय के नामे डाला जायेगा। इस आवंटन की प्रविष्टि अनुदान सं0-10 के वर्ष 2017-18 के आवंटन पंजिका के पृष्ठ-05 पर कर ली गई है।

<u>संलग्नक- उपरोक्तानुसार।</u>

28/08/17
(अनिल कुमार यादव)
निदेशक(रेशम)

पत्रांक 21 सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18 तद्‌दिनांकित

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ आडिट आफिसर(आडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन-15-थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. कैम्प निदेशक, रेशम, मुख्यालय-लखनऊ।
6. उप निदेशक, रेशम मुख्यालय-लखनऊ।
7. व्यय सहायक एवं वरिष्ठ आडिटर, मुख्यालय लखनऊ।
8. प्रोग्रामर/कम्प्यूटर अनुभाग, रेशम निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से कि उपरोक्त को वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल कर दे।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

(अमितोष श्रीवास्तव)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

पत्रांक 021 /सेरी0/लेखा/आयो0 बजट/2017-18 दिनांक:: 28 अगस्त, 2017 का अनुलग्नक

अनुदान सं0- 10- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग-001-निदेशन तथा प्रशासन- आयोजनेत्तर

03-अधिष्ठान व्यय, रेशम निदेशालय के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

(धनराशि रूपये में)

क0 सं0	आहरण एवं वितरण अधिकारी का पदनाम	जनपद	कोषागार का नाम	मदवार आवंटन													
				मजदूरी	यात्रा व्यय	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	मानदेय	कार्यालय व्यय	विद्युत देय	जल कर/ जल प्रभार	लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	टेलीफोन पर व्यय	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	विज्ञापन, और विख्यापन व्यय
				02	04	05	07	08	09	10	11	12	13	15	16	17	19
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	उप निदेशक, रेशम	रेशम निदशालय, मुख्यालय, लखनऊ	जवाहर भवन, लखनऊ	847000	212000	117000	5000	230000	817000	292000	160000	160000	100000	1300000	175000	292000	58000
	योग:-			847000	212000	117000	5000	230000	817000	292000	160000	160000	100000	1300000	175000	292000	58000

4765000

आतिथ्य व्यय	अनुरक्षण	अन्य व्यय	सामग्री एवं सम्पूर्ति	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	अवकाश यात्रा व्यय	कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफटवेयर का कय	कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	चिकित्सा व्यय	वर्दी व्यय	योग	पूर्व में योजना के अर्न्तगत आवंटित धनराशि का योग	प्रगामी योग
22	29	42	43	44	45	46	47	49	51			
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
58000	320000	180000	1166000	100000	116000	175000	129000	216000	58000	7283000	39024500	46307500
58000	320000	180000	1166000	100000	116000	175000	129000	216000	58000	7283000	39024500	46307500

(रू0 बहत्तर लाख तिरासी हजार मात्र)

तेरह अंको का कोड नम्बर

2	8	5	1	0	0	0	0	1	0	3	0	0

(अमितोष श्रीवास्तव)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी